



272/1

संस्था - 2286709

2286710

110 वेतना केन्द्र 10 अग्रणी मार्ग लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

दिनांक : 16 अगस्त 2015

पत्रांक : 1983 / 05 / 76 / एक / 2015 - 16
सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-सहारनपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सुडा द्वारा आपके जनपद (खुदा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सानाथ सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की गई है:

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	1709000108060424	IFSC Code PUNB0170900	380 168

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निहाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	नरनि० सहारनपुर	पुराना कलसिया रोड कलसिया कालोनी (बाल्मीकि बस्ती) पार्ट-01 में खेड़ा पीर से कल्लू मकान, राकेश मकान से मर्कुर मकान, इसरार मकान से सोहेल मकान, मुनीर मकान से इसरार मकान, प्रो०वि० से मौ० अहमद मकान, रामकिशन मकान से इकराम मकान, गुड्डू मकान से नरेश मकान, इकराम मकान से तोहिद मकान, अखिल मकान से नदीम मकान, मदीना मस्जिद से शराफत मकान, डा० अनवर जहीद अहमद मकान से हुसैन अहमद मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	35 877
2	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	नरनि० सहारनपुर	पुराना कलसिया रोड कलसिया कालोनी (बाल्मीकि बस्ती हरमत कालोनी) पार्ट-02 में मुरादीन मकान से मुरादीद रकूल, नफीस मकान से राशिद मकान, इरलाम मकान से इरशाद मकान, महमूद दुकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	43,849
3	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	नरनि० सहारनपुर	पुराना कलसिया रोड कलसिया कालोनी बाल्मीकि बस्ती 780 नगर मुल्ताफा बाद कालोनी पार्ट 03 में नदीम वासनाथर से मुलशेर मकान से शीकत मकान से अकबर मकान से इरशाद मकान से खटलो वाली मस्जिद से अयुब समद मकान से वशीर अहमद मकान से मफकार मकान से इल्ताफ मकान से नसीम मकान से शमशेर मकान से मौ० वरुण मकान से मुल्ताफ खान मकान से शीकत से मुलशेर मकान से अकबरी मकान से मौ० खरील मकान तक इंटरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	37 625
4	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	नरनि० सहारनपुर	पुराना कलसिया रोड कलसिया कालोनी बाल्मीकि बस्ती 788 नगर मुल्ताफा बाद कालोनी पार्ट 04 में अब्बास मकान से मदन फारमा रकूल, वज्जलन मकान से आरिफ मकान,	24,227



272/2

दस्तावेज संख्या: 22/04/79

22/04/79

नया योजना संख्या: 10 अर्थात् मार्च 1979तक 22/04/79

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

समूह का नाम	अवधि/वर्ष	निकाय का नाम	राती/घाट का नाम	ग्राम/विकास क्षेत्र का नाम
			डाठ ताहिर मकान से मुलशार मकान, काफिल हाउस से नोनीन मस्जिद, इश्गार मकान से मुलजार मकान, आजम मकान से फखर मकान, भूरा मकान से अनीस व गफूर मकान, दिलशाद मकान से अय्यूब मकान कम्पू मकान से मुनीर मकान खट्खो वाली मस्जिद से अफजल मकान, खुशीद मकान से दिलशाद मकान, रहमान मकान से रशियिया मस्जिद, लिनाकत मकान से काला मकान, मेहताबान मकान से कुर्बान मकान, शीकत मकान से सलीम मकान तक इण्टरलॉकिंग हाईवेल सड़क व नाली निर्माण कार्य।	
1. साहपुर	मौलाना बरकत 33 बजट	शहीद साहानपुर	पुराना कलशिया रोड कलशिया कालोनी (बायोमिडि बल्लो नालिन कालोनी) पार्ट 5 में इरशाद मकान से सलीम मकान, भीम मकान से मस्जिद फाजल तक व फाजल के मकान से ताहिर मकान, मुस्तकीम मकान से काफिल के मकान तक इण्टरलॉकिंग हाईवेल सड़क व नाली निर्माण कार्य।	42/16
2. साहपुर	मौलाना बरकत 33 बजट	शहीद साहानपुर	मानकमन से कु. नगर में इरशाद की दुकान से सलीम मकान से भीम रहमान मकान से शहनाद मकान से शमीम मकान से उरमान स्टूट काले मकान से, भीर हुसन की दुकान से दिलशाद मकान से फयू मकान से अखिल मकान, मुनीर मकान से शशाकत मकान से कुर्बान मकान से इकबाल मकान से भीम चामीन टेकदार मकान, दिलशाबा मकान से का. मकान से फुलकान मकान से वाली मकान से शहीम मकान तक इण्टरलॉकिंग हाईवेल सड़क व नाली निर्माण कार्य।	44/15
3. साहपुर	मौलाना बरकत 33 बजट	शहीद साहानपुर	मानकमन से सलीम सिन्हा के मकान से शमीम मकान से साफीक मकान से डाठ युनुस मकान से सुलमान मकान से मुस्तकीम मकान से सईद मकान से मुस्तकीम मकान से कम्पेन चौक मकान से इकबाल मकान से फयू मकान से काफिल की दुकान से दिलशाद मकान से निना के मकान से सलीम मकान से फखर मकान से नोनीन मकान से अहमद मकान से फरीम मकान से हाजारा मकान से अखिल मकान से मुस्तकीम मकान से काशी अदि की दुकान से मुस्तकीम मकान से नोनीन मकान से काफिल मकान से काफिल मकान से हाफिज अय्यूब मकान से अय्यूब मकान से मुस्तकीम मस्जिद से मुस्तकीम मकान तक इण्टरलॉकिंग हाईवेल सड़क व नाली निर्माण कार्य।	45/16



272/3

पृ.सं. 2286709

2286710

नया योजना संख्या: 10 अंशक नं. लखनऊ-2286001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्ता की धनराशि का प्रेषण
				बाबूराम मकान से कारी अब्दुलरहमान मकान से खुशनूर मकान से दिलशाद मकान से उरमान की दुकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	
9	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट	न०पा० परि० नकुड़	डा० ईश्वर सिंह चौधरी के मकान से मेदा मिल तक व वीर सिंह के मकान से सुलेख चन्द व अनुप के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.561
10	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट-द्वितीय किस्त	न०नि० सहारनपुर	सहारनपुर, कोलागढ़ चिलकाना रोड़ भाग-04 में इण्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	14.203
11	सहारनपुर	मलिन बस्ती-83 बजट-द्वितीय किस्त	न०नि० सहारनपुर	सहारनपुर, कोलागढ़ चिलकाना रोड़ भाग-08 में इण्टरलाकिंग रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	13.345
	योग				380.168

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनामार्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर रक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनामार्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रेष्ठ से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाधता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनामार्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि दृढ़ता द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निश्चित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनामार्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथाविधम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की श्रेष्ठ पर कर्तव्यी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



272/4

फॉर्म नं. 2296/19

2296/10

14 बाला रोड, 10 अलीपुर नगर, लखनऊ-226001


राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- अमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इसी संस्था के लिये किया जावेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी भी कारणवश इस कार्य में देरी हो जाए तो अमुक्त की गई धनराशि के साथ ही धनपत्र को अमुक्त की जा रही धनराशि के साथ ही वापिस भेजा जाएगा जो कि फॉर्म की संख्या के साथ ही वापिस भेजा जाएगा। अमुक्त की गई धनराशि का उपयोग केवल ही इसी संस्था के लिये किया जावेगा।
- 2- धनपत्र द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के लिये प्रथम किस्त के लिये 50 प्रतिशत की धनराशि अमुक्त की गयी है जिसके अनुसार प्रोजेक्ट की धनराशि रोककर शेष धनराशि अमुक्त की जा रही है तथा द्वितीय किस्त की धनराशि के अमुक्त के बाद ही धनराशि एवं द्वितीय किस्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अमुक्त की जा रही है। अमुक्त की गई धनराशि के लिये निम्नलिखित शर्तें लगायी जा रही हैं- अमुक्त की गई धनराशि के लिये प्रथम किस्त के अमुक्त के बाद ही धनराशि अमुक्त की जा रही है। अमुक्त की गई धनराशि के लिये प्रथम किस्त के अमुक्त के बाद ही धनराशि अमुक्त की जा रही है। अमुक्त की गई धनराशि के लिये प्रथम किस्त के अमुक्त के बाद ही धनराशि अमुक्त की जा रही है।

भवदीय,


(अनिल प्रसाद सिंह)
वित्त निदेशक

1- अमुक्त की गई धनराशि का उपयोग इसी संस्था के लिये किया जावेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी भी कारणवश इस कार्य में देरी हो जाए तो अमुक्त की गई धनराशि के साथ ही धनपत्र को अमुक्त की जा रही धनराशि के साथ ही वापिस भेजा जाएगा जो कि फॉर्म की संख्या के साथ ही वापिस भेजा जाएगा। अमुक्त की गई धनराशि का उपयोग केवल ही इसी संस्था के लिये किया जावेगा।


(अनिल प्रसाद सिंह)
वित्त निदेशक